(181) (57)

निग० – 3367/2018/रीवा/भू-रा०

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सार्किट कोर्ट कैम्प रीवा (म0प्र0)

20रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत बीस रुपये TWENTY RUPEES | 5रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.5 INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES | कोर्ट फी COURT FEE FIVE RUPEES

विलोपित/विलोपित/विलोपित/विलोपित

1– संगमलाल गर्ग तनय श्री तुलसीराम गर्ग उम्र 72 वर्ष पेशा खेती निवासी ग्राम बुसौल तहसील सेमरिया जिला रीवा (म0प्र0) —— प्रार्थी

आवेदक की ओर से श्री श्रीमेलाल गर्ग द्वारा पेश 31.5.18

बनाम

1– शासन म0प्र0

2– फुल कुमारी बगैरह ग्राम बुसौल तहसील सेमरिया जिला रीवा म0प्र0

—प्रतिवादीगण

विषय द्वितीय निगरानी अन्तर्गत धारा 50 भू रा0संहित 1959ई0 विरूद्ध आदेश श्रीमान् तहसीलदार साहब सेमरिया के रा0 कमरण कमांक 11 अ–12–12–13 आदेश दिनांक 14/03/2018 को पारित बावत्।

महोदय,

निगरानी के आधार निम्न है:–

1– यह कि प्रार्थी आवादी की भूमि नं0 254/2क रकवा 0.10डि0 व 254/2ख रकवा 0.10डि0 स्थित मौजा बुसौल की दिनांक 24/01/2012 को सीमांकन आवेदन दिया था, नकि नक्शा तरमीम का, रा0नि0 सेमरिया को आदेश होने पर दिनांक 10/07/2012 को स्थल पर पहुच कर विपक्षियों से प्रभावित होकर भूमि नं0 254/2क का नक्शा ढाई डि0 रकवा का भूमि नं0 254/1 पर तरमीम किया गया, व साढे सात डि0 का रकवा 254/2क पर ही तरमीम किया गया था, जो प्रार्थी को स्वीकार न था, जो पूष्टिकरण हेतु तहसील भेज दिया गया था।

संगमलाल गर्ग

(57)

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R-3367- रीवा/18 जिला रीवा

सगम लाल गर्ग विरूद्ध शासन फूल कुमारी व अन्य

1	2	3
15-1-19	1. आवेदक की ओर से श्री सगमलाल गर्ग अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी तहसीलदार/ ~~नायब तहसीलदार~~ तहसील सेमरिया के प्रकरण क्रमांक 11/अ-12/12-13 में पारित आदेश दिनांक 14-3-18 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 19-3-19 को कलेक्टर रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	